



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ



Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

भारतीय प्रजापति, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: envzbo-mofrc@nic.in

पत्र सं० एवी/यूएपी०/०४/३२/२०२२/एफ०सी०/१५-

दिनांक : 08.04.2022

सेवा में

श्री. मुख्य अधिकारी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सामू नवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Trans/41830/2019

विषय : जनपद सोनमध के रेनुकट वन प्रभाग में रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 किलोमीटर विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को 25 वर्षों (दिनांक 15.10.1996 से 14.10.2021 तक) हेतु लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 हेक्टर वनभूमि के लीज को आगामी 25 वर्षों (दिनांक 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) हेतु नवीनीकरण किए जाने को सम्बंध में।

सन्दर्भ- सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या पी-377/81-2-2021-800(330)/2021, लखनऊ, दिनांक-11.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय का ज्ञात प्रत्यक्ष करने का कष्ट करें। विभागीय प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रस्ताव में विभागीयस्तरीय मूला आशय यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना दत्त कार्यालय को उपलब्ध कराए जाके आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. As per the DSS and SOL topsheet of the proposed diversion area, some forest area patches have been demarcated as Non-forest land. The kml file of the proposed diversion route, this needs to rectification/clarification.
2. As per the kml file, the proposed diversion route has been suddenly ended at a point, this needs clarification.
3. Geo referenced map of the proposed diversion area is not clearly visible (point id), this needs rectification/clarification.
4. The NCT suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 95.95 ha, which is less than the actual required area.
5. As per the Google Earth Imageries dated 16-11-2018, partially plantation activity has been observed on proposed CA land area.
6. Revised NPV calculation needs to be furnished by User agency as per MoEF&CC letters dated 06-01-2022 & 19-01-2022.
7. Revised Cost-benefit analysis has to be provided.
8. Dwarf plantation needs to be proposed elsewhere in some forest area, accordingly scheme needs to be submitted.

भवदीय,

(डॉ० प्रवीण गंगवार)
उप वन अधिकारी (विनियम)

प्रतिलिपि (इमेल द्वारा)

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(सीक), वन विभाग, 17, राजा प्रताप मार्ग, लखनऊ- 226001।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राजा प्रताप मार्ग, लखनऊ, 226001।
3. प्रमाणीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
4. श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 डिप्टीलको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश प्रभावशील।

(अनुपम गुप्ता)
उप वन महानिरीक्षक (विनियोग)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक-2903 /11-सी-FP/UP/Trans/41830/2019, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 7/ 2022

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रमाणीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 डिप्टीलको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जायज

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

EDS

पत्रांक- 4518 मीरजापुर विभाग, 19-04-2022

19/4/22

प्रतिलिपि- प्रमाणीय वनाधिकारी, रेनुकूट को
मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित।

अग्रिम

(प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर)

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर